W.R.

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./552/2004/गंगानगर

विद्यादेवी पत्नि डालचंद पुत्री श्रीमती हरकौरी पत्नी रजीराम पुत्र घेरुराम जाति कुम्हार निवासी निहालखेडा, तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर (पंजाब) द्वारा मुख्त्यारआम अनिल कुमार पुत्र डालचंद जाति कुम्हार निवासी निहालखेडा, तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर (पंजाब)

.....अपीलार्थी

बनाम

1– अमीचन्द पुत्र शिवलाल, जाति कुम्हार निवासी 9 एल0एन0पी0, तहसील व जिला श्री गंगानगर

2– राजस्थान सरकार

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

श्री पंकज नरुका, सदस्य

उपस्थित–

श्री सतवीर सिंह एवं श्री मनीष पाण्ड्या, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अमृतपाल सिंह, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 26.02.2020

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 77/2002 शीर्षक 'विद्यादेवी बनाम अमीचन्द' में पारित निर्णय दिनांक 22–01–2004 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 व 92–ए के अन्तर्गत एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रतिवादी/अपीला0 के विरुद्ध इस आशय का पेश किया कि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक नम्बर 6 एल0एन0पी0 का मुरब्बा नम्बर 36 के 25 बीघा मय खाल एवं चक 9 एल0एन0पी0 का मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 3 के 0.05 बिस्वा, 8/2 के 0.10 बिस्वा, 13/2 के 0.10 बिस्वा, 14 सालम, 17 सालम, 18/2 के 0.10 बिस्वा, 23/2 के 0.10 बिस्वा, 24 सालम, 25 सालम कुल 6 बीघा 05 बिस्वा घेरुराम पुत्र मींयाराम के नाम दर्ज थी और इनके देहान्त के बाद उनके पुत्र रजीराम के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। रजीराम के देहान्त के बाद हरकौरी पत्नि रजीराम के नाम रिकार्ड में दर्ज हुई। मु0 हरकौरी का देहान्त हो चुका है और प्रतिवादिया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसकी एक मात्र वारिस है। प्रश्नगत भूमि पर वादी का कब्जा 1959 से चला आ रहा है और इस प्रकार वादी का कब्जा मुखालफाना हो चुका है। वादी का कब्जा होस्टाइल होने से वादी स्वतः ही भूमि का खातेदार हो जाता है। प्रतिवादिया वर्तमान में स्थाई रुप से पंजाब में निवास करती है और वे यहॉ के मूल निवासी नहीं हैं। उनके द्वारा भूमि को कभी काश्त नहीं किया गया है। वादी के कब्जे को छुडाने का कभी प्रयास नहीं किया गया है। अतः दावा वादी डिक्री कर प्रश्नगत आराजी पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये और प्रतिवादिया को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान

नहीं करें और आराजी को किसी प्रकार से रहन, बैय व मुॅतकिल नहीं करें। प्रतिवादिया की ओर से जबाब दावा मय प्रतिवाद प्रस्तुत किया जिसमें वादी के वाद के कथनों से असहमति जाहिर की और अंकित किया कि घेरुराम के दो पुत्र श्योलाल व राजीराम हुये जिनके नाम विरासत का नामांतरकरणकल 50 बीघा भूमि पर दर्ज हुआ जो कि चक 6 एल0एन0पी0 का रकबा है। चक 9 एल0एन0पी0 की भूमि 25 बीघा भी राजाराम पुत्र घेरुराम के फौत होने पर श्योलाल वल्द घेरुराम तथा हरकौरी बेवा राजाराम के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादिया की सहमति के बिना दर्ज की गई थी। चक 9 एल0एन0पी0 6 बीघा 5 बिस्वा का खाता प्रतिवादी संख्या–1 की माता व प्रतिवादी संख्या–1 की सहमति के बिना दर्ज किया गया है। कुल 75 बीघा भूमि जो चक 6 एल0एन0पी0 के मु0नम्बर 36 व 42 में 50 बीघा में बहिस्सा बराबर तथा चक 9 एल0एन0पी0में मु0नम्बर 27 में 25 बीघा भूमि ब0हि0 बराबर खातेदारी दर्ज थी जिसका विभाजन नहीं हुआ है। प्रश्नगत भूमि को ठेका पर दिया गया था, चूॅकि एक ही परिवार के सदस्य थे। वादी का कब्जा प्रतिवादी संख्या–1 के पिता, माता व उसकी सहमति से है अतः वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी प्रकार की खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाये और चक 6 एल0एन0पी0 के मु0नं0 36 व 42 की 50 बीघा भूमि में से 1/2 हिस्सा तथा चक 9 एल0एन0पी0 के मु0नं0 27 के 25 बीघा में से 1/2 हिस्सा का कब्जा प्रतिवादिया को दिलाया जाये। चक 6 एल0एन0पी0 के मु0नं0 36 व 42 तथा चक 9 एल0एन0पी0 के मु0नं0 27 के 25 बीघा में प्रतिवादिया को मृतका हरकौरी के स्थान पर विरासतन खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादिया को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाये। वादी द्वारा प्रतिवादिया की ओर से प्रस्तुत प्रतिवाद का जबाब प्रस्तुत किया कि हरकौरी के नाम से मुश्तरका खाते में भूमि दर्ज न हो कर हरकौरी का खाता अलग था। भूमि का विभाजन हरकौरी के जीवनकाल में उसकी सहमति से हुआ है जिसे हरकौरी ने कभी चुनौती नहीं दी। प्रतिवादिया का काउण्टर क्लेम मियाद समय सीमा के बाहर है। वादी का कब्जा बतौर मुखालफाना खातेदार के रुप में है न कि अतिचारी के रुप में। प्रतिवादिया को वादी के विरुद्ध किसी प्रकार का वाद हेतुक नहीं हुआ है। अतः प्रतिवादिया का प्रतिवाद निरस्त किया जाए। उपखण्ड अधिकारी, गंगानगर ने निर्णय दिनांक 14.06.02 से दावा वादी डिक्री कर प्रश्नगत आराजी चक नम्बर 6 एल0एन0पी0 का मुरब्बा नम्बर 36 के 25 बीघा मय खाल एवं चक 9 एल0एन0पी0 का मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 3 के 0.05 बिस्वा, 8/2 के 0.10 बिस्वा, 13/2 के 0.10 बिस्वा, 14 सालम, 17 सालम, 18/2 के 0.10 बिस्वा, 23/2 के 0.10 बिस्वा, 24 सालम, 25 सालम कुल 6 बीघा 05 बिस्वा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया और प्रतिवादिया को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर आक्षेपित अपीलाधीन निर्णय से अपील को खारिज किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– अपीलार्थी–प्रतिवादीया पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि वादी/रैस्पो. द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया था उसमें मुख्य रुप से यही उज्र लिया गया था कि प्रश्नगत आराजी पर वादी का कब्जा 1959 से लगातार बिना किसी रुकावट के चला आ रहा है जो कि मुखालफाना कब्जा है। अधीनस्थ परीक्षण

न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाते हुये वादी के पक्ष में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा प्रदान की है और इसकी पुष्टि करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विधिक भूल की है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। उपखण्ड अधिकारी, गंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 14.06.2002 के द्वारा वादी/वर्तमान रैस्पो0–1 के पक्ष में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा की है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि मूलतः प्रश्नगत भूमि का खातेदार घेरुराम था जिसके दो पुत्र श्योलाल एवं रजीराम हुये। श्योलाल का पुत्र वादी/रैस्पो0 अमीचंद है और प्रतिवादिया/अपीलार्थी रजीराम की पुत्री है। इस प्रकार वादी और प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य हैं अतः संयुक्त परिवार से सम्बन्धित भूमि होने से वादी को प्रतिकूल कब्जाधारी नहीं माना जा सकता है। प्रतिवादीया विधवा है और राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार विधवा की भूमि पर किसी अन्य कब्जेधारी को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि वास्तव में प्रतिवादिया द्वारा वादी को इस भूमि को टेके पर काश्त करने हेतु संभला रखा था किन्तु अप्रैल, 1999 से वादी द्वारा ठेका राशि बन्द कर देने से प्रश्नगत भूमि पर वादी की हैसियत अतिक्रमी की हो जाती है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा प्रतिवाद प्रस्तुत किया था जिसमें गलत प्रकार से परीक्षण न्यायालय ने मियाद समय सीमा का उल्लेख करते हुये प्रतिवाद को खारिज किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी अविधिक रुप से गलत प्रकार से फाइंडिंग देते हुये वादी का मुखालफाना कब्जा मानते हुये उसके पक्ष में निर्णय पारित किया है। योग्य अधिवक्ता ने अपने पक्ष में न्याय दृष्टान्त आर0आर0डी0 2011 पेज 508, आर0आर0डी0 2018 पेज 715 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायाालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त किया जाये और वादी का वाद खारिज किया जाये।

5– वादी/रैस्पो0 पक्ष की ओर से योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि वर्तमान अपील मैंटेनेबिल नहीं है और जब अपील मैंटेनेबिल नहीं है तो गुणावगुण पर निर्णय नहीं करते हुये अपील की पोषणीयता पर ही निर्णय किया जाना चाहिए। उन्होंने निवेदन किया कि वादी/अपीलार्थी रैस्पो0 संख्या–1 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, गंगानगर के समक्ष दावा संख्या 130/99 प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी संख्या–1/वर्तमान अपीलार्थी ने जबाबदावा पेश किया और साथ में प्रतिवाद पेश कर दावा खारिज करने और प्रतिवाद के आधार पर दावे के पैरा संख्या–2 में वर्णित भूमि का कब्जा दिलाए जाने का अनुतोष मांगा गया था। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14–06–2002 के द्वारा वादी/वर्तमान रैस्पो0 संख्या–1 का दावा स्वीकार कर डिक्री किया तथा प्रतिवादी–1/वर्तमान अपीलार्थी का प्रातिवाद खारिज कर दिया। उन्होंने बहस में निवेदन किया कि आदेश 8 नियम 6–ए(2) सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवाद पत्र एक प्रकार से क्रास–सूट होता है जिसे दावे की तरह ही निर्णित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या–1/वर्तमान अपीलार्थी को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष दो अपीलें प्रस्तुत करनी चाहिए थीं, जब कि उनके द्वारा एक ही अपील प्रस्तुत की गई है जो कि मैंटेनेबिल नहीं है। योग्य अधिवक्ता ने अपने पक्ष में न्याय दृष्टान्त 2019 आर0आर0टी0 वौल्यूम–II पेज 831, आर0बी0जे0 2017 एच0सी0 पेज 390, डी0एन0जे0 2019 पेज 139, 2019(2) आर0आर0टी0 पेज 896, 2020(1) आर0आर0टी0 पेज 198 प्रस्तुत किये।

6– प्रारम्भिक आपत्ति पर योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी ने दावा व प्रतिवाद दोनों को अपने एक ही निर्णय व डिक्री दिनांक 14–6–2002 के द्वारा निर्णित किया है, अतः इनके विरुद्ध पृथक–पृथक अपीलें पेश करने की आवश्यकता नहीं है। योग्य अधिवक्ता ने अपने पक्ष में न्याय दृष्टान्त 2008(1) आर0आर0टी0 पेज 701 एच0सी0, माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपील डिक्री संख्या 7157/2007 में पारित निर्णय दिनांक 17.9.2019 की फोटो प्रति प्रस्तुत किये और निवेदन किया कि इस कंपोजिट अपील को मैंटेनेबिल मानते हुये प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाये।

7– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ता की अपील की पोषणीयता के सम्न्ध में प्रस्तुत की गई बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया। योग्य अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्याय दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया।

8– हस्तगत प्रकरण में निहित इस विधि के प्रश्न को तय करने हेतु प्रकरण के तथ्यों का अवलोकन किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार स्पष्ट है कि वादी/रैस्पो0 ने अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 व 92–ए के अन्तर्गत एक वाद संख्या 130/99 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रतिवादी संख्या–1/अपीला0 के विरुद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था और प्रतिवादिया संख्या–1/वर्तमान अपीलार्थी की ओर से जबाब दावा मय प्रतिवाद प्रस्तुत किया जिसमें वाद को खारिज करने और वादपत्र के पैरा संख्या–2 में अंकित भूमि का कब्जा प्राप्त करने तथा राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अनुतोष चाहा गया। दावा, जबाब दावा प्रातिवादी तथा जबाब प्रतिवाद के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में 12 तनकियात कायम कीं और समस्त तनकियात को निर्णित करते हुये निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2002 से वादी/वर्तमान रैस्पो0 संख्या–1 का दावा डिक्री किया और प्रातिवादी संख्या–1/वर्तमान अपीलार्थी का प्रतिवाद खारिज किया। डिक्री में पैरा संख्या–1 में वादी का दावा डिक्री करने का अंकन किया गया और पैरा संख्या–3 में प्रतिवादी संख्या–1/वर्तमान अपीलार्थी के प्रतिवाद को खारिज करने का अंकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.6.2002 के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या–1/वर्तमान अपीलार्थी ने अपील संख्या 77/02 विद्यादेवी बनाम अमीचन्द अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.6.2002 को निरस्त किया जाये और प्रतिवादी संख्या–1/वर्तमान अपीलार्थी के प्रतिवाद को स्वीकार कर डिक्री किया जाए। राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 77/2002 शीर्षक 'विद्यादेवी बनाम अमीचन्द' में पारित निर्णय दिनांक 22–01–2004 से अपील को खारिज किया। इस प्रकार उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या–1/अपीलार्थी द्वारा मण्डल के समक्ष ये द्वितीय अपील पेश की है।

9– प्रकरण में परीक्षण योग्य बिन्दु यही है कि जहॉ दावा व प्रतिवाद को परीक्षण न्यायालय के द्वारा एक ही निर्णय से निर्णित किया गया हो वहॉ दावा एवं प्रतिवाद के अनुतोष हेतु एक अपील प्रस्तुत की जाये अथवा पृथक–पृथक अपीलें की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6–ए (2) व (4) का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जो कि इस प्रकार से हैः–

> Order 6-A(2) Such counter claim shall have the same effect as a cross suit so as to enable the Court to pronounce a final judgment in the same suit, both on the original claim and on the counter-claim.
>
> Order 4- The counter claim shall be treated as a plaint and governed by the rules applicable to plaints.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 6862/2014 अनुवानी रजनीरानी बनाम खैरातीलाल में पारित निर्णय दिनांक 14–10–2014 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रतिवाद पत्र पर पारित निर्णय डिक्री परिभाषा में आता है तथा प्रतिवाद पत्र पर पारित निर्णय व डिक्री की अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या आरएसए 358/2005 अनुवानी सरण बनाम गुलाबचंद में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 6862/14 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2014 के प्रकाश में निर्णय किया है कि प्रतिवाद पत्र पर पारित निर्णय डिक्री है जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसी बिन्दु पर योग्य अधिवक्ता रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत 2019 डी0एन0जे0 पेज 139, 2019 आर0आर0टी0 वौल्यूम–II पेज 831, 2019 आर0आर0टी0 वौल्यूम–II पेज 896, 2020(1) आर0आर0टी0 पेज 198 में यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिवाद पत्र पर पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध "कम्पोजिट अपील" मैंटेनेबिल नहीं है।

9– जहॉ तक विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने समर्थन में आर0आर0टी0 2008(1) पेज 701 एच.सी. तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपील डिक्री संख्या 7157/2007 शीर्षक रंगलाल बनाम चम्पालाल में पारित निर्णय दिनांक 17.9.2019 का प्रश्न है उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आर0आर0टी0 2008(1) पेज 701 एच.सी. में पारित निर्णय आर0एल0डब्ल्यू0 1954 पेज 373 तथा आई0एल0आर0 1971 (11) राज0 पेज 1173 में पारित निर्णय के आधार पर हैं। इसके विपरीत आर0बी0जे0 2017 पेज 390 एच.सी. में पारित निर्णय में माननीय न्यायालय ने उपरोक्त संदर्भित निर्णयों को "डील विद" करते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "कम्पोजिट अपील" मैंटेनेबिल नहीं है।

RBJ 2017 Page 390 (H.C.) Jethu Singh v/s. Board of Revenue में इस प्रकार से मत प्रतिपादित किया गया हैः–

> **RAJASTHAN TENANCY ACT 1955- Section 183, 188 and 88-** One Appeal filed against two judgments is not maintainable. In view of above categoric law repeatedly laid down by the Hon'ble Supreme Court, the failure on part of the petitioners to file two seperate appeals against the judgment dated 20-7-1966 Whereby two cross suits, one file by the petitioners and other filed by the respondents No.5 and 6 were decided the finding in other suit would operate as resjudicata and consequently, the single appeal filed by the petitioners was not maintainable. Writ petition dismissed.

उपरोक्त विवचनानुसार स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि दावा एवं प्रतिवाद पत्र पर पारित निर्णय के विरुद्ध "कम्पोजिट अपील" मैंटेनेबिल नहीं है, अतः योग्य अधिवचक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आर0आर0टी0 2008(1) पेज 701 एच.सी. को इस अपील के निर्णय का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपील डिक्री संख्या 7157/2007 में पारित निर्णय दिनांक 17.9.2019 को भी इस अपील के निर्णय को आधार नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि ये निर्णय भी आर0आर0टी0 2008(1) पेज 701 एच.सी. पर आधारित है। अतः आर0बी0जे0 2017 पेज 390 एच.सी. तथा माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या आरएसए 358/2005 अनुवानी सरण बनाम गुलाबचंद में पारित निर्णय दिनांक 10.11.1970 के अनुसरण में दावा व प्रतिदावा के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई "कम्पोजिट अपील" मैंटेनेबिल नहीं होने से हस्तगत अपील **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरुका)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य